"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 सितम्बर 2006—आश्विन 6, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक 11938/2492/21-ब/छ. ग./06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड 1 सहपठित छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2006 के नियम 8 के उप नियम 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा निम्न छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) पर फास्ट ट्रेक न्यायालय में कार्य करने हेतु तदर्थ एवं स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है.

1. श्री शैलेष कुमार तिवारी
2. श्री अशोक कुमार साहू
3. श्रीमती सुमन एक्का
4. श्री गोकरण सिंह कुंजाम
5. श्री फूलसिंह पैकरा
6. श्री के. विनोद कुजूर
7. श्री राजेन्द्र प्रधान

8. श्रीमती कान्ता मार्टिन
9. श्री आंनद कुमार सिंघल
10. श्री अशोक कुमार लूनिया
11. श्री सुरेश कुमार सोनी
12. श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता
13. श्री भीष्म प्रसाद पाण्डे
14. श्री अरविंद कुमार सिन्हा
15. श्री बलिन्दर सिंह सलूजा
16. श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल

Raipur, the 28th September 2006

ORDER

No. 11938/2492/21-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 233 of the Constitution of India, read with sub rule (1) of rule 8 of Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the High Court promotes the following members of Chhattisgarh Lower Judicial Service and appoints as District Judge (Entry Level) for serving in Fast Track Court on Adhoc basis in officiating capacity from the date they assume charge.

1. Shri Shailesh Kumar Tiwari
2. Shri Ashok Kumar Sahu
3. Smt. Suman Ekka
4. Shri Gokaran Singh Kunjam
5. Shri Phool Singh Penkra
6. Shri K. Vinod Kujur
7. Shri Rajendra Pradhan
8. Smt. Kanta Martin
9. Shri Anand Kumar Singhal
10. Shri Ashok Kumar Lunia
11. Shri Suresh Kumar Soni
12. Shri Onkar Prasad Gupta
13. Shri Bhisma Prasad Pandey
14. Shri Arvind Kumar Sinha
15. Shri Balindar Singh Saluja
16. Shri Hemant Kumar Agrawal

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.